संशोधन

संख्या- 38 / 2023 / 349 / चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 03 फरवरी, 2023

विषय:- आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के संरक्षित स्मारकों पर रोशनी के कार्यक्रम की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक शासनादेश संख्या-37/2023/349/चार-2023, दिनांक 02 फरवरी, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में आजादी का आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के संरक्षित स्मारकों पर रोशनी के कार्यक्रम हेतु रू0 5,83,188 (रूपये पांच लाख तिरासी हजार एक सौ अटठासी मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि टंकक त्रुटिवश शासनादेश संख्या-37/2023/349/चार-2023, दिनांक 02 फरवरी, 2023 के प्रस्तर-2 में रू0 5,84,188.00 के स्थान पर रू0 5,83,188.00 अंकित हो गया है। सही धनराशि रू0 5,84,188.00 (रू0 पांच लाख चौरासी हजार एक सौ अट्ठासी मात्र) है।

3- उक्त शासनादेश संख्या-37/2023/349/चार-2023, दिनांक 02 फरवरी, 2023 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 38 /2023 / 349 (1)/चार-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, लखनऊ।
5- वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in